2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हमीरसिंह सोढा बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार शेरगढ) सू.अ.अ. संख्या 77/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हमीरसिंह सोढा (खिरजा खास) हाल प्लॉट नं. 445, मोहननगर बी, बी.जे.एस. कोलानी गली नं.11 जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.03.17 में उसके द्वारा (1) खिरजाखास के उतमनगर के खसरा नं. 686 में सहखातेदारों को सन् 2012, 2013, 2014, 2015 व 2016 के तहत खातेदारों में किन किन को कृषि अनुदान राशि दी गई है उसकी प्रमाणित प्रति व अन्य 5 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से जरिये पत्रांक 1479 दिनांक 22.05.17 प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिनांक 24.05.17 को सूचना दी जा चुकी है तथा सूचना प्राप्ति पर प्रार्थी के हस्ताक्षर भी किये हुए है अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	